तक हस्तांतरित किया जाना था। राज्य सरकार द्वारा परिसीमन में देरी के कारण राज्य निर्वाचन आयोग नगरपालिकाओं का चुनाव समय पर नहीं करा सका। इसने जनता को दिन-प्रतिदिन की स्थानीय प्रकृति सेवाओं में सीधे भागेदारी से वंचित किया। शहरी स्थानीय निकायों से विकास योजनाएं जिले के मसौदा विकास प्रस्ताव में सम्मिलित करने के लिए प्राप्त नहीं हुई थीं। इस कारण वे अपने क्षेत्र के विकास में सम्मिलित नहीं किए गए थे। संपत्ति कर परिषद का गठन नहीं किया गया था। नतीजतन, शहरी स्थानीय निकायों के पास संपत्ति कर के आकलन और संशोधन के लिए तकनीकी मार्गदर्शन का अभाव था। राज्य सरकार के पास शहरी स्थानीय निकायों पर अधिभावी शक्तियाँ हैं जो 74 वें संविधान संशोधन अधिनियम की भावना के विरुद्ध है।

4.9 अनुशंसाएं

1. राज्य सरकार 12वीं अनुसूची में यथा-परिकल्पित सभी कार्यकलापों/कार्यों एवं उत्तरदायित्वों को शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकती है।

2. शहरी स्थानीय निकायों को पर्याप्त राजस्व सृजन शक्तियों के साथ सामान्य कार्यों के दिन-प्रतिदिन के संचालन और प्रशासन में सम्मिलित किया जाना चाहिए। राज्य सरकार शहरी स्थानीय निकायों को अग्निशमन सेवाओं और जलापूर्ति जैसे कार्यों को हस्तांतरित कर सकती है तथा उन्हें निधियों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। यह कार्य आरंभ में प्रायोगिक आधार पर नगर निगमों को, यदि सभी शहरी स्थानीय निकायों को नहीं तो, हस्तांतरित किया जा सकता है।

3. राज्य सरकार वार्डों का समय पर परिसीमन और सीटों के आरक्षण के लिए सक्रिय कदम उठा सकती है ताकि राज्य निर्वाचन आयोग शहरी स्थानीय निकायों के लिए समय पर चुनाव करा सके।

4. राज्य सरकार संपत्ति कर परिषद का गठन कर सकती है जो संपत्ति कर के आकलन और संग्रहण से संबंधित सभी मामलों में शहरी स्थानीय निकायों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करेगा।